

**\* SCHEDULE OF QUANTITY \***

Name of work :- R/M of various works under Jal Shakti Division Nalagarh  
Distt. Solan (HP).(SH:- **Out sourcing of vehicle** for current Financial year  
2020-21 (For the period **01-07-2020 to 30-06-2021**).

Estimated cost :-Rs. **426100/-only**  
Earnest money :-Rs. 10000/-only  
Time Limit :- 12 months.

S.No	Description of item.	Quantity.	Rate	Unit	Amount.
1 (i)	Hirring charges of vehicle Scorpio / Bolero diesel on monthly basis including all kinds of fuel operation and maintenance charges etc. for four months @ 1500 Km per month as per terms and conditions attached.( For the Current Financial Year 2020-21 (For the period 01-07-2020 to 30-06-2021).	12		Month	
	Type of Vehicle :-Scorpio/ Bolero. Minimum monthly Km. :- 1500 Km.				
ii)	Extra charges above 1500 Km.( For 12(Twelve) month @ 1000 km. Per Month= 10000 KM.) (Duty Hours 9.00 AM to 6.00 PM. (9 hours).	1500		Km.	
iii)	Charges for over time for more than 9 hours per day.	200		hour	
iv)	Night Halt charges/out of station journey.	30		Night Halts.	
					Total=Rs.

**नियम एवं निर्धारित शर्तें**

1. वाहन की स्थिति (कंडीशन) ठीक होनी चाहिए ड्राइवर के पास अधिकृत वाहन चलाने का लाईसेंस होना अनिवार्य है, एवं वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. जिस व्यक्ति का वाहन किसी भी विभाग में किराये पर लगाया जायेगा उसे सम्बन्धित विभाग से मुबलिंग 10,000/- रूपये प्रतिपूर्ति राशि जमा करवानी होगी।
3. मुरम्मत व तेल का खर्चा वाहन मालिक को ही वहन करना होगा।
4. सर्विस चार्ज जो सरकार को दिया जाता है के अतिरिक्त, समस्त कर, टोल टैक्स व अन्य टैक्स वाहन मालिक को ही वहन करने होंगे।

5. जो वाहन किराये पर लिया जायेगा वह माह में कम से कम 1500 किलोमीटर चलाना होगा( अधिकतम सीमा विभाग निश्चित करेगा) व वर्ष में कम से कम 180 दिन या 18000 किलोमीटर तक चलाना आवश्यक होगा इसके अतिरिक्त वाहन एक सप्ताह, महीना व छः माह के लिए भी किराये पर लिया जा सकता है।
6. वाहन प्रातः 09:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक के लिए प्रयोग होगा तथा आपातकाल के समय बदला जा सकता है।
7. वाहन मालिक को लाग बुक लगानी होगी तथा प्रतिदिन यात्रा सत्यापित करवानी होगी।
8. वाहन के खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को अन्य वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा विभाग द्वारा दण्ड शुल्क लगाया जायेगा।
9. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर विभाग द्वारा कोई भी मुवावजा नहीं दिया जायेगा इसके लिए वाहन मालिक ही जिम्मेवार होगा।
10. वाहन पर किसी भी प्रकार का सरकार से सम्बन्धित **Sticker** (स्टीकर) इत्यादि नहीं लगाया जायेगा।
11. इस अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती हैं।
12. ओवर टाईम ड्यूटी के घण्टे तथा रात्रि ठहराव के दिन ड्यूटी के अनुसार घट व बढ़ सकते है।

अधिशायी अभियन्ता,  
जलशक्ति विभाग मण्डल,  
नालागढ।